

दिनांक 14/01/2024 को देहरादून पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का अजांम देने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 26.12.2023 को श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी भद्रकाली एन्क्लेव रायपुर देहरादून ने दिनांक 21.12.2023 की रात्रि में उनके घर के बाहर से स्कूटी सं० UK07BU-2242 को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना रायपुर पर E-FIR के माध्यम से मु०अ०सं० 571/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना अ०उ०नि० सुनील रावत के सुपुर्द की गयी। पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया गया तथा पूर्व में वाहन चोरी में प्रकाश में आये वाहन चोरों का सत्यापन कर उनकी अध्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। पुलिस टीम द्वारा की कार्यवाही से उपरोक्त स्कूटी चोरी में शादाब अंसारी पुत्र इदरीश अंसारी निवासी जैन प्लाट वाणी विहार रायपुर दे०दून का नाम प्रकाश में आया। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.01.2024 को शादाब अंसारी के घर पर दबिश दी गयी, जहाँ शादाब के परिजनों द्वारा बताया गया कि शादाब अत्यधिक नशे का आदि होने के कारण उनके द्वारा शादाब को आमवाला में स्थित नशा मुक्ति केन्द्र में भर्ती कराया गया है। नशा मुक्ति केन्द्र में जाकर शाबाद से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए चोरी की स्कूटी को रिंग रोड के जंगल में झाड़ियों में छुपाना बताया गया, जिसकी निशानदेही पर रिंग रोड के जंगल से झाड़ियों में छिपाकर रखी गयी चोरी की स्कूटी बरामद की गयी। अभियुक्त शादाब पूर्व में भी घरों में चोरी तथा वाहन चोरी के अपराध में जेल जा चुका है। अभियुक्त को मा० न्यायालय पेश किया गया, मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- शादाब अंसारी पुत्र इदरीश अंसारी निवासी वाणी विहार जैन प्लाट रायपुर, देहरादून, उम्र 24 वर्ष।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

स्कूटी एक्टिवा नं० UK07 BU- 2242

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु०अ०सं० 04/20218 धारा 457/380/411 भादवि
- 2- मु०अ०सं० 10/2019 धारा 457/380/411 भादवि
- 3- मु०अ०सं० 180/2023 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट
- 4- मु०अ०सं० 346/2023 धारा 379/411 भादवि
- 5- मु०अ०सं० 571/2023 धारा 379/411 भादवि

पुलिस टीम:-

1. अ०उ०नि० सुनील रावत
2. कानि० वेदप्रकाश भट्ट
- 3 कानि० अजय कुमार

